Himalayan J. Soc. Sci. & Humanities ISSN: 0975-9891
Vol. 17, (2022) 59-65 DOI: https://doi.org/10.51220/hjssh.v17i1.9

Role of Dr. Ambedkar in upliftment of Dalits

Manju Arya*

Department of Political Science, LSM Government PG College Pithoragarh, Uttarakhand

*Corresponding Author email id: manjuarya1111@gmail.com

Received: 10.12.2022; Revised and Accepted: 29.12.2022
©Society for Himalayan Action Research and Development

Abstract: Dr. Ambedkar is known as the architect of the Constitution of India. Apart from this, he is also known as a social reformer, legal scholar, great philosopher and Manu of the modern era. He had a lot of loyalty towards Buddhism, so he was also given the title of "BODHISATVA". He was the follower of "KABEER PANTH". He tried to bring legal provisions to bring equality to Dalits in the society and tried to create social awareness to remove untouchability. He believed that religin is common to all. The religion, in which there is discrimination, is not an relegion but an insult to the human society. Due to his influencive personality, he became national leader of untouchables and hnce known as MESSIAH OF DALITS.

Keywords: Ambedkar, Social reformer, Untouchability, Awareness, Architect of Constitution,

दलितों के उत्थान में डॉ. अम्बेदकर की भूमिका

मंजू आर्या,
राजनीति विज्ञान, एल. एस. एम. रा. स्ना. महा., पिथौरागढ़ उत्तराखंड

सारांश—डॉ. अम्बेदकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें समाज सुधारक, विधिवेत्ता, दार्शनिक, महामानव, तथा **आधुनिक युग का मनु** के रूप में भी जाना जाता है। उनकी बौद्ध धर्म के प्रति काफी निष्ठा थी। इसलिए उन्हें बोधिसत्व की उपाधि भी प्रदान की गई थी। वे कबीर पंथ के अनुयायी थे। उन्होंने दलितों को समाज में समानता दिलाने के लिए वैधानिक प्रावधान लाने का प्रयास किया और अस्पृश्यता को दूर करने के लिए समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। उनका कहना था कि धर्म सबके लिए समान होता है। जिस धर्म में भेदभाव होता है वह धर्म नहीं है बल्कि मानव जाति का अपमान है। वे अपने प्रभावी व्यक्तित्व के कारण अश्पृश्यों के राष्ट्रीय नेता बन गए और उन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है।

संकेत शब्द—अम्बेदकर, समाज सुधारक, अस्पृश्यता, जागरूकता, संविधान निर्माता।

प्रस्तावना—अम्बेदकर जी का जन्म इन्दौर के पास महू छावनी में 14 अप्रैल, 1891 में हुआ था। वे महार जाति में जन्मे थे, जो अछूत समझी जाती थी। हाईस्कूल तक की शिक्षा उन्होंने सतारा से ग्रहण की। उसके बाद 1908 में बम्बई के एलफिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और उच्च शिक्षा प्राप्त की। बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति दी, तब कोलम्बिया विश्वविद्यालय से भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और 1915 में अर्थशास्त्र से एम. ए. किया। 1916 में "लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एण्ड पॉलिटिकल साइन्स" में भी अध्ययन कार्य किया और लन्दन विश्वविद्यालय से पीएच. डी. की उपाधि ली। उन्होंने "The Problem of the Rupee" विषय पर शोध कार्य किया था।[1]

1923 में डॉ. अम्बेदकर भारत आए और वकालत की। साथ में गरीबों तथा अछूत लोगों की सहायता के लिए कार्य किया। 1927 में बहिष्कृत भारत नाम का एक पाक्षिक पत्र बम्बई में निकाला। 1930 में उनको **अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ** का अध्यक्ष बनाया गया। 1930–31 में उन्होंने लन्दन में आयोजित प्रथम तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। जिसमें उन्हें हिन्दू समाज से अलग प्रतिनिधित्व दिलाने में सफलता मिली। इस बात पर उनका गांधीजी के साथ टकराव हो गया था। 1932 में डॉ. अम्बेदकर और गांधीजी भारत आये, दोनों का ही भारत पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। कई संस्थाओं द्वारा अम्बेदकर जी को मान पत्र देने के लिए जुलूस निकाले गये।[2]

डॉ. अम्बेदकर ने भीमाबाई और रामजी मालोजी सकपाल के घर 14वीं सन्तान के रूप में जन्म लिया। रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे और कबीर पंथ को मानने वाले थे। उन्होंने अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में कराया। यहां पर अस्पृश्य समुदाय के बच्चों को कक्षा से बाहर बिठाया जाता था और उन्हें प्यास लगने पर खुद से पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। कोई उच्च जाति का व्यक्ति उन्हें अलग बरतन में पानी देता था, तब वे पानी पीते थे। इस घटना से अम्बेदकर जी काफी आहत हुए। प्रारम्भ से ही वे पढ़ाई में प्रतिभावान थे। अपनी प्रतिभा और अध्ययन में रूचि होने के कारण उन्होंने शिक्षकों को काफी प्रभावित किया। 1907 में उन्होंने मैटिक परीक्षा पास की। इस परीक्षा को पास करने वाले वे अस्पृश्य समुदाय के पहले व्यक्ति थे। इस समुदाय के लोगों ने उनकी इस सफलता को एक उत्सव की तरह मनाया। 1912 में उन्होंने राजनीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त की और कोलम्बिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएच. डी. की। उनका शोध प्रबन्ध बाद में "The Evolution of Provincial Finances in British" के नाम से प्रकाशित हुआ। उन्होंने कई वर्षों तक अमेरिका तथा यूरोप के खुले वातावरण में अध्ययन किया। इसके बाद डॉ. अम्बेदकर को जब भारत में अपने अस्पृश्य होने पर कई कटु अनुभवों का सामना करना पड़ा तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गयी। उन्होंने हिन्दू समाज की इस व्यवस्था का काफी विरोध किया। उन्हें बड़ौदा में बड़े पद पर नौकरी मिली। लेकिन वे अस्पृश्य थे तो उन्हें वहां रहने के लिए उपयुक्त जगह नहीं मिली। जिसकी वजह से उन्हें अपनी जाति छिपानी पड़ी और तब एक पारसी सराय में उन्हें रहने की जगह मिली। लेकिन उन्हें जल्द ही वह स्थानभी छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां के लोगों को उनकी जाति का पता चल गया था और वे लाठियां लेकर सराय पहुंच गए थे। अस्पृश्यता का शिकार हुए अम्बेदकर जी बड़ौदा में केवल 11 दिनों तक ही नौकरी कर पाए, उन्हें मायूस होकर इस्तीफा देना पड़ा और वे बम्बई लौट आये। इसके बाद उन्होंने बम्बई में निवेश(Investment) विषय पर लोगों को सलाह देने का कार्य शुरू किया। लेकिन जैसे ही लोगों को उनकी जाति का पता चलता, लोग उनसे बचने लगते थे। इसलिए इस कार्य में भी वे सफल नहीं हो पाये। 1918 में उनकी नियुक्ति बम्बई के 'साइडेनहम'(Sydenham) कॉलेज में व्याख्याता के रूप में हुई। 1920 में उन्होंने एक मराठी अखबार 'मूलनायक'(Leader of the Dumb)का प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने अस्पृश्यों में जागरूकता लाने के लिए कई सभाएं तथा सम्मेलन किये। 1920 में कुछ साथियों की सहायता से वे फिर से लन्दन गये। वहां पर 'ग्रेज इन'(Gray's Inn)से विधि शास्त्र की डिग्री ली। 1923 में अर्थशास्त्र में 'लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स' (London School of Economics) से 'डी. एस–सी' (D. Sc.) की डिग्री हासिल की। जब वे भारत लौटे तो उन्हें फिर से जातिगत भेदभाव के कटु अनुभव प्राप्त हुए।[3]

इसके बाद बम्बई में आकर वकालत का व्यवसाय शुरू किया और अस्पृश्य लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे आये। अपने शिक्षा काल के दौरान ही वे अस्पृश्यों की समस्याओं से अच्छी तरह परिचित थे। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 1918 में सरकार द्वारा मताधिकार के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु एक समिति को गठित किया गया। डॉ. अम्बेदकर इस समिति के सामने कुछ प्रमाण देने के लिए उपस्थित हुए और उनके द्वारा अस्पृश्यों के लिए अलग निर्वाचन मंडल तथा स्थानों के लिए आरक्षण की मांग को रखा गया। 1920 में उन्होंने कोल्हापुर राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त की और अस्पृश्यों की समस्याओं की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए 'मूक नायक' नाम का एक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया।

दलितों के उद्धार के लिए अम्बेदकर जी को एक दलित संगठन बनाने की जरूरत महसूस होने लगी। 1924 में अम्बेदकर ने महाराष्ट्र के कई स्थानों में भ्रमण किया और अस्पृश्यों को यह संदेश देने की कोशिश की कि उनका कल्याण केवल शिक्षा, संगठन, सक्रियता और संघर्ष के द्वारा ही हो सकता है। उन्होंने **'बहिष्कृत हितकारिणी सभा'** के नेतृत्व के माध्यम से दलितों की शिक्षा के लिए बहुत सी शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। इस सभा के माध्यम से दलितों को शिक्षित, संगठित और जागरूक करने का प्रयास किया गया। साथ ही इस सभा ने कई मुक्ति आन्दोलनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व भी किया। इस सम्बन्ध में सबसे प्रभावी आन्दोलन 'महद आन्दोलन' था। 'महद'(महाराष्ट्र का एक तालुका) नगरपालिका ने वहां के जलाशय को खोलने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। यह जलाशय सवर्णों के क्षेत्राधिकार में था। इस प्रस्ताव द्वारा इसे दलितों के लिए खोल दिया गया। लेकिन अस्पृश्य लोग भय के कारण उस जलाशय का उपयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन अम्बेदकर जी के नेतृत्व में दलित उस जलाशय तक गये, तब उनका भय खत्म हुआ और उस जल का उपयोग किया। डॉ. अम्बेदकर का मानना था कि मनुस्मृति समाज के दलित वर्ग के उत्थान में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए उन्होंने उसका काफी विरोध किया और सार्वजनिक रूप से उसकी प्रतियों को भी जलाया गया। डॉ. अम्बेदकर तथा उनके सहयोगियों द्वारा 25 दिसम्बर 1927 को मनुस्मृति दहन के रूप में मनाया गया। सवर्णों द्वारा इसका विरोध किया गया। लेकिन फिर भी आन्दोलन चलता रहा और उसे प्रगति भी मिली।

डॉ. अम्बेदकर का मानना था कि दलितों के उद्धार के लिए कोई वैधानिक प्रावधान होना चाहिए। तभी उनको समाज में समानता का दर्जा मिल सकेगा। इन्हीं प्रयत्नों के बाद सरकार ने उन्हें बम्बई विधान परिषद् का सदस्य मनोनीत किया। 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन को ज्ञापन देकर यह मांग रखी कि बम्बई राज्य में अस्पृश्यों को विशेष संरक्षण दिया जाय और इनके प्रतिनिधियों को अलग निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रदान किया जाय।[4]

डॉ. अम्बेदकर धर्म के प्रचारक नहीं थे। वे एक समाज सुधारक तथा राजनीतिक नेता थे और व्यक्ति के लिए धर्म की महत्ता को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने धर्म का प्रयोग अस्पृश्यों के उद्धार में एक साधन के रूप में किया था। उनका कहना था कि धर्म व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं होता है। धर्म सभी के लिए समान होता है, जिस धर्म में भेदभाव होता है, वह धर्म नहीं, बल्कि मानव जाति का अपमान है। अम्बेदकर जी उस समय की धार्मिक व्यवस्था को उचित नहीं मानते थे क्योंकि इसमें मानव जाति के

नाम पर काफी भेदभाव किया जाता था। इसलिए वे हिन्दू धर्म की आलोचना किया करते थे और ऐसे धर्म की खोज करना चाहते थे, जो मानव की समानता का संदेश प्रदान करे।[5]

डॉ. अम्बेदकर ने 'Who Were the Shudras'? (शूद्र कौन थे ?) नामक पुस्तक लिखी। जिसमें उन्होंने दावे के साथ इस बात को समाज के सामने रखा कि शूद्र आदिम जाति के श्याम वर्ण वाले नहीं हैं वरन् वे सूर्यवंश के क्षत्रिय हैं। प्राचीन राजा सुदास तथा वशिष्ठ के बीच घोर युद्ध हुआ था, जिसमें सवर्ण हिन्दुओं ने उनका अधीनीकरण कर लिया था। इस युद्ध में सुदास को हार का सामना करना पड़ा। समय के साथ–साथ सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ और शूद्रों को अपनी क्षत्रियों के समान स्थिति से वंचित होना पड़ा, जिससे वे अस्पृश्यता के शिकार हो गये। डॉ. अम्बेदकर का कहना था कि राजा सुदास को शूद्र इसलिए माना जाता था क्योंकि महाभारत के शान्तिपर्व के अध्याय LX में इसको वर्णित किया गया है। इसमें शूद्रों के यज्ञोपवीत पर भी रोक लगायी गयी थी। वे चतुर्थ वर्ग के सिद्धान्त को असमानता के लिए जिम्मेदार समझते थे और इसको अस्पृश्यता का जनक मानते थे। **साउथबॉरो समिति** (Southborough Committee) के सामने उन्होंने अस्पृश्यों तथा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र तथा आरक्षण की मांग को रखा था।

डॉ. अम्बेदकर ने दूसरा मराठी पत्र 'बहिष्कृत भारत' 1927 में शुरू किया। इसके माध्यम से उन्होंने अस्पृश्यों को नासिक के काला राम मंदिर में प्रवेश करने के लिए अहिंसात्मक आन्दोलन करने को कहा। यह आन्दोलन लगभग एक माह तक जारी रहा और उन्हें मंदिर के वार्षिक उत्सव में प्रवेश करने की इजाजत मिल गयी।[6]

अपने प्रभावी व्यक्तित्व और कार्यों के बल पर डॉ. अम्बेदकर अस्पृश्य लोगों के राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर आये। जिसके परिणामस्वरूप 1930 में उन्हें **'अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन'** का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्षीय भाषण के दौरान उन्होंने स्वशासन की मांग का जोरदार समर्थन किया। लेकिन उनका कहना था कि स्वशासन की योजना तभी सफल हो सकती है, जब उसमें दलित वर्ग के अधिकारों को भी मान्यता दी जाएगी।

1930 से 1933 तक लन्दन में भारत के लिए राजनीतिक सुधार की योजना तैयार करने के लिए ब्रिटिश की सरकार द्वारा आयोजित किये गये गोलमेज सम्मेलनों में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व डॉ. अम्बेदकर द्वारा किया गया। उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र तथा स्थानों को आरक्षित करने की मांग रखी। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1932 में भावी राजनीतिक सुधार के अन्तर्गत **'साम्प्रदायिक पंचाट'** की घोषणा की गयी और दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकृति दे दी गयी। यह **'साम्प्रदायिक पंचाट'** वास्तव में दलितों के उद्धार के लिए एक उचित कदम था।

लेकिन गांधीजी ने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। फलस्वरूप डॉ. अम्बेदकर को गांधीजी के सत्याग्रह के आगे झुकना पड़ा। सितम्बर 1932 में 'साम्प्रदायिक पंचाट' के प्रावधान को समाप्त करने के लिए दोनों के बीच यरवदा जेल में पूना समझौता हुआ। फलस्वरूप डॉ. अम्बेदकर इस नतीजे पर पहुंचे कि हिन्दू समाज का हिस्सा बनकर दलितों का उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए उसका त्याग करके ऐसे धर्म को

ग्रहण करना चाहिए जिसमें समानता का भाव हो। अपने इसी विचार के कारण उन्होंने हिन्दू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्मको अपनाया था।

डॉ. अम्बेदकर ने 1936 में **'इनडिपैंडैन्ट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया'**की स्थापना की और उसका नेतृत्व भी किया। 1937 में बम्बई विधान परिषद् का निर्वाचन हुआ। जिसमें दलितों के लिए 15 स्थान आरक्षित थे। इन सभी स्थानों पर उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। डॉ. अम्बेदकर को 1942 में श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् का सदस्य मनोनीत किया गया था। उसके बाद अम्बेदकर जी के नेतृत्व में **'अनुसूचित जाति फैडरेशन'** की स्थापना की गयी, जो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल था। कार्यकारिणी परिषद् का सदस्य बनने के बाद उन्होंने दलितों की शिक्षा के लिए धनराशि स्वीकृत करवाई और केन्द्र व प्रान्त की सेवाओं में उनके लिए अलग से स्थानों में आरक्षण का भी प्रावधान करवाया। डॉ. अम्बेदकर कांग्रेस की नीतियों के विरोधी रहे। लेकिन नेहरू जी से काफी प्रभावित थे, क्योंकि वे दलित वर्ग के हितों के लिए प्रतिबद्ध रहते थे।[7]

डॉ. अम्बेदकर को **दलितों के मसीहा** के रूप में जाना जाता है। दलितों के उद्धार के सम्बन्ध में उनकी तुलना **अमेरिकी नीग्रो नेता पॉल रॉबसन** से की जाती है। अम्बेदकर जी ने सवर्णों, ब्राह्मणवाद तथा पाखंड का हमेशा विरोध किया। इस संघर्ष को उन्होंने कानूनी लड़ाई, अहिंसा तथा राजनीतिक दांवपेंच के अन्तर्गत ही रखा और अस्पृश्यता की मूल जड़ वर्ण–व्यवस्था पर तार्किक तथा नैतिक प्रहार किया। उनके अनुसार यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण, अमानवीय और असहायों का शोषण करने वाली थी। मानव को 4 वर्णों में विभाजित करना उचित नहीं है। वैदिक काल में 3 वर्ण थे– ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। चौथा शूद्र वर्ण नहीं था। इसलिए तथाकथित रूप से ब्रह्मा के पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति बताना भ्रम पैदा करने वाला है। उस समय ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच संघर्ष होता रहता था। कुछ क्षत्रिय राजा ऐसे थे जिन्होंने ब्राह्मणों के साथ तालमेल बैठाने से इन्कार कर दिया तो ब्राह्मण ऐसे क्षत्रियों को शूद्र कहकर पुकारने लगे और इन क्षत्रियों का उपनयन संस्कार करने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार समाज उन्हें हीन भाव से देखने लगा और इनका स्थान वैश्यों से नीचे हो गया। केवल पुरूषसूक्त में ही 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। शूद्रों की ऐसी दशा ब्राह्मणवाद के षड्यन्त्र का ही परिणाम है। इन व्यवस्थाओं के आधार पर शूद्रों को सम्पत्ति तथा शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उन्हें अपनी रक्षा के लिए शस्त्र रखने का भी अधिकार नहीं था। वे सामाजिक कार्यक्रमों तथा त्यौहारों में भी भाग नहीं ले सकते थे। इसी वर्ण–व्यवस्था ने धीरे–धीरे जाति व्यवस्था का रूप ले लिया।[8]

1936 में डॉ. अम्बेदकर की पुस्तक 'The Annihilation of Caste' प्रकाशित हुई, जो उनके शोध प्रबन्ध का विस्तृत रूप था। इसके द्वारा उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और हिन्दू धर्म के नेताओं की कड़ी निन्दा की। उन्होंने 1941 से 1945 तक अस्पृश्यों की समस्याओं के समाधान पर बहुत सी पुस्तकों की रचना की। अपनी पुस्तक 'What Congress & Gandhi Have Done to the Untouchables' में उन्होंने गांधीजी और कांग्रेस पर अस्पृश्य समुदाय के लोगों के साथ छल–कपट करने का इल्जाम लगाया। 'Who Were the Shudras' पुस्तक के द्वितीय भाग 'The Untouchables : A Thesis on the Origins of Untouchability' में उनके द्वारा हिन्दू धर्म की खुलकर आलोचना की गयी। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लोगों को एकजुट करने

के लिए 1942 में **'अनुसूचित जाति संघ'** (Scheduled Caste Federation) और **'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया'** (Republican Party of India) को स्थापित किया।[9]

कांग्रेस ने 1946 में अम्बेदकर जी को अपने प्रतिनिधि के रूप संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित किया और नेहरू जी के नेतृत्व में उन्हें अन्तरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री के रूप में शामिल किया गया था व संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। आधुनिक लोकतांत्रिक संविधान को बनाने में उनके द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई गयी। इसीलिए उन्हें आधुनिक मनु के नाम से भी जाता है। सितम्बर 1951 में उन्होंने विधि मंत्री के पद से नेहरू मंत्रिमंडल को अपना इस्तीफा दे दिया था। 1952 में उन्हें बम्बई विधानमंडल द्वारा राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया। 1955 में उनके द्वारा **'बुद्ध महासभा'** की स्थापना की गयी और बौद्ध धर्म का प्रचार–प्रसार किया गया।

डॉ. अम्बेदकर द्वारा समय–समय पर कई पुस्तकों की रचना की गयी। जो इस प्रकार हैं–

1.The Untouchables, Who Are They & They Became Untouchable?
2. Who Were the Shudras?
3.What Congress & Gandhi Have Done to the Untouchables?
4.States & Minorities
5.Emancipation of Untouchables
6.Annihilation of Caste
7.The Budhha & His Dharma
8.Gandhi & Gandhism
9.The Rise & Fall of the Hindu Women
10.Pakistan or Partition of India[10]

डॉ. अम्बेदकर अनुसूचित जाति संघ के नेता थे। उन्होंने 1952 में चुनाव लड़ने के लिए प्रजा सोशलिस्ट दल के साथ गठबंधन की कोशिश की। उनके द्वारा जनवरी 1952 में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार का प्रमुख कारण था उनके दल का एकजुट न होना और कश्मीर के विभाजन पर सहमति व्यक्त करना। वे लोकसभा में प्रवेश करना चाहते थे, इसलिए मई 1954 में उन्होंने उपचुनाव लड़ा। लेकिन वे इस प्रयास में भी सफल नहीं हो पाये।[11]

बम्बई में 1956 को उन्होंने एक भाषण देकर लोगों को यह बताया कि उनके द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने का क्या कारण था। उन्होंने घोषणा की कि हिन्दू धर्म ईश्वर में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म में कोई ईश्वर नहीं है। हिन्दू धर्म आत्मा में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा नहीं है। हिन्दू धर्म चतुर्वर्ण व जाति प्रथा में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म में जाति प्रथा तथा चतुर्वर्ण का कोई स्थान नहीं है। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने पारम्परिक रूप से बौद्ध धर्म अपनाया था। 6 दिसम्बर 1956 को नई दिल्ली में अपने निवास स्थान पर अम्बेदकर जी का निधन हो गया।[12]

डॉ. अम्बेदकर ने अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों को संगठित करने के लिए काफी संघर्ष किया। उनके जीवन पर **महात्मा बुद्ध, महात्मा फुले तथा अमेरिकी दार्शनिक जॉन ड्यूई** का गहरा प्रभाव पड़ा था। अपनी पुस्तक 'Annihilation of Caste' **(जाति प्रथा का उन्मूलन)** में उन्होंने हिन्दू वर्ण व्यवस्था का विस्तार से विश्लेषण किया और छुआछूत के द्वारा हो रहे अन्याय पर अपने विचार व्यक्त किये। उन्हें यह अनुभव हुआ कि उच्च जातियों के लोग दलित वर्ग के प्रति सहानुभूति तो रखते हैं और उनकी समानता पर भी जोर देते हैं। लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। डॉ. अम्बेदकर ने दलितों के आत्म सुधार पर विश्वास जताया। अतः उन्होंने इन जातियों को मदिरा पान और गौ मांस खाने जैसी आदतों को त्यागने की सलाह दी, क्योंकि ये आदतें ही उनकी इस दुर्दशा का मुख्य कारण थी। उनका मानना था कि इन जातियों का कल्याण तभी होगा जब उन्हें कानूनी संरक्षण दिया जायेगा और राजनीतिक सत्ता में उनकी भागीदारी होगी।[13]

डॉ. अम्बेदकर को दलितों के उद्धारक के रूप में जाना जाता है। वे एक राजनेता, समाज सुधारक, विधिवेत्ता और शिक्षाविद् थे और संविधान के ज्ञाता भी थे। उन्होंने अस्पृश्यों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। भारतीय संविधान को एक निश्चित ढांचा प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनका योगदान प्रशंसनीय रहा। उन्होंने जाति प्रथा और अस्पृश्यता के विरूद्ध जो संघर्ष किया, वह इतिहास के पन्नों में सदैव रहेगा। उन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। उन्होंने दलितों का ही उद्धार नहीं किया बल्कि महिलाओं की स्थिति में सुधारके लिए भी कई प्रयास किये। हिन्दू धर्म की व्यवस्था ने अम्बेदकर जी को हमेशा आहत किया। इसलिए अपने जीवन के अन्तिम दिनों में उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। 1990 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। वे अनेकों प्रतिभाओं के धनी थे। लेकिन उनका पूरा जीवन संघर्षमय रहा तथा समाज की कुरीतियों को दूर करने में ही व्यतीत हो गया।

संदर्भ–सूची:

1. भारतीय राजनीतिक विचारक, डॉ. ए. पी. अवस्थी, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, पृष्ठ–348
2. भारतीय राजनीतिक विचारक, बी. एम. शर्मा, रामकृष्ण दत्त शर्मा, सविता शर्मा, रावत पब्लिकेशन, जयपुर व नई दिल्ली, पृष्ठ–366,367
3. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, डॉ. वी. पी. वर्मा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, पृष्ठ–921,922
4. भारतीय राजनीतिक चिन्तक, जीवन मेहता, एस बी पी डी पब्लिशिंग हाउस, आगरा, पृष्ठ–205, 206
5. भारतीय राजनीतिक विचारक, डॉ. ए. पी. अवस्थी, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, पृष्ठ–348, 349
6. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, डॉ. वी. पी. वर्मा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, पृष्ठ–923
7. भारतीय राजनीतिक चिन्तक, जीवन मेहता, एस बी पी डी पब्लिशिंग हाउस, आगरा, पृष्ठ–206, 207
8. भारतीय राजनीतिक विचारक, बी. एम. शर्मा, रामकृष्ण दत्त शर्मा, सविता शर्मा, रावत पब्लिकेशन, जयपुर व नई दिल्ली, पृष्ठ–379, 380
9. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, डॉ. वी. पी. वर्मा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, पृष्ठ–926
10. भारतीय राजनीतिक चिन्तक, जीवन मेहता, एस बी पी डी पब्लिशिंग हाउस, आगरा, पृष्ठ–207
11. समकालीन राजनीतिक विचारक, डॉ. बी. सिंह गहलोत, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ–243, 244
12. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, डॉ. वी. पी. वर्मा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, पृष्ठ–932
13. राजनीति–चिन्तन की रूपरेखा, ओम् प्रकाश गाबा, मयूर बुक्स, नई दिल्ली, पृष्ठ–339, 340